न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–411 सन् 2015

विरेन्द्र प्रसाद यादव वगै0.....वादीगण।

बनाम

सुरेन्द्र मोहन सिंह वगै0.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–10.09.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 01 वो 02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–10.09.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 01 वो 02 की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा वादी की ओर से दिनांक 30.07.2015 को दाखिल किए तथा प्रतिवादी को इसकी जानकारी वो सूचना नहीं दिए तथा उक्त मुकदमा दिनांक 17.10.2016 को अदम पैरवी में खारिज हा गया। खारिज होने के बाद वादी ने प्रतिवादी को बिना कोई सम्मन किए हुए और न ही वाद की सूचना दिए न्यायालय को अंधकार में रखते हुए वाद को पुनर्जीवित करा लिया वो दिनांक–09.08.2018 को तामिला संपुष्ट करा दिया। प्रतिवादी दिनांक 19.03.2024 को अपने अन्य मुकदमा को लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए तभी न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद का पुकार हुआ, तब अपने अधिवक्ता के माध्यम से पता लगाया तो वादी के कारनामे का पता चला। प्रतिवादी को वाद की जानकारी होने के पश्चात् दिनांक 30.'04.2024 को उपरोक्त वाद में उपस्थित हुआ तब जाकर पता चला कि इस वाद में दिनांक 09.08.2018 को तामिला संपुष्ट करते हुए वाद एकपक्षीय नियत किया गया है। प्रतिवादी जानबूझकर उक्त वाद में हाजिर नहीं हुआ है। न्यायहित में दिनांक–09.08.2018 के आदेश को रिकॉल करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि दिनांक 09.08.2018 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी को उक्त मुकदमा में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक–24.09.2024 को दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि प्रतिवादी जानबूझकर उक्त वाद में उपस्थित नहीं हुए तथा लगभग छः वर्षो बाद उपस्थित होकर दिनांक–09.08.2018 के आदेश को रिकॉल करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 वो 02 द्वारा दाखिल रिकॉल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत

वाद में प्रतिवादी सं0 01 वो 02 उक्त वाद में उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक–09.08.2018 को रिकॉल करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा वादी की ओर से दिनांक 30.07.2015 को दाखिल किए तथा प्रतिवादी को इसकी जानकारी वो सूचना नहीं दिए तथा उक्त मुकदमा दिनांक 17.10.2016 को अदम पैरवी में खारिज हा गया। खारिज होने के बाद वादी ने प्रतिवादी को बिना कोई सम्मन किए हुए और न ही वाद की सूचना दिए न्यायालय को अंधकार में रखते हुए वाद को पुनर्जीवित करा लिया वो दिनांक–09.08.2018 को तामिला संपुष्ट करा दिया। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि प्रतिवादी लगभग छः वर्षो बाद उक्त वाद में उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को रिकॉल करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। जबकि न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को अपना वाद साबित करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.09.2024 को वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु स्वीकृत करना तथा उक्त वाद में संघर्ष करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–10.09.2024 को 1500/–रूपये खर्चा के साथ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक–09.08.2018 को रिकॉल करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान कर उक्त वाद में संघर्ष करें। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर सारण।